रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 1987/माघ 15, 1908
No. 64] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 1987/MAGHA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1987

आदेश

सा का नि. 79(अ) :—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मिट्टी का तेल (प्रयोग निर्बंधन और मूल्य निर्धारण) आदेश, 1966 में और संशोधन करके निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश मिट्टी का तेल (प्रयोग का निबंधन और मूल्य संशोधन आदेश, 1987 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मिट्टी के तेल (निर्बंधन और मूल्य निर्धारण) आदेश, 1966 की धारा 5 में "तेल कम्पनियों से सीधे प्राप्त करने" के शब्दों के बाद निम्न-लिखित शब्द जोड़ जायेंगे, अर्थात् —

"अथवा मिट्टी तेल की थोक बिक्री करने वाले डीलर जिन्हें उपर्युक्त प्रयोजन के लिए मिट्टी तेल की फुटकर बिक्री करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, अथवा मिटटी तेल की फुटकर बिक्री करने वाले डीलर जो इस प्रकार आवश्यक औद्योगिक प्रयोग के लिए मिट्टी तेल की बिक्री करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए है जैसा भी मामला हो."

[फाइल सं. पी-20014/4/86-पी.पी.]

टी.एन.आर. राव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 4th February, 1987

## ORDER

G.S.R. 79(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Price) Order 1966, namely:—

1. (1) This order may be called the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Price) Amendment Order, 1987.

(2) This will come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Price) Order, 1966, in clause 5, aftetr the yords "directly from the Oil Companies", the following words shall be inserted, namely :—

"or the wholesale kerosene dealers to whom retail kerosene licence for the above purpose has been issued, or the retail kerosene dealers specifically appointed for selling kerosene for such essential industrial use as the case may be".

[File No. P-20014|4|86-PP]

T.N.R. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987